

प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /07/2019

क्रमांक एफ 4-13/2019/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा श्रीमती आशालता देवदत्तम, डी.पी.एच.एन.ओ. जिला विदिशा द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 13.12.2018 के आधार पर श्रीमती आशालता देवदत्तम, को दिनांक 01.01.2019 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

2/ श्रीमती आशालता देवदत्तम के विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 4-13/2019/सत्रह/मेडि-1,
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 24/07/2019

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र0 2326 दिनांक 03.07.2019 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला विदिशा म.प्र.।
7. प्राचार्य, जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र विदिशा।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला विदिशा म.प्र.।
9. श्रीमती आशालता देवदत्तम, डी.पी.एच.एन.ओ. जिला विदिशा म.प्र.।
10. की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
स्टाक फाईल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग